सं०सं०–1/पा०मैं०कॉ०अ०–07/2012–.....16(1)ब०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक : **संजय कुमार,**
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना।
विभागाध्यक्ष,
विकलांग भवन अस्पताल, कंकड़बाग, पटना।

पटना, दिनांक– 25/04/2012

विषयः–पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को विपत्र कोड एन में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 78,**33,48,600/-** (अठहतर करोड़ तेतीस लाख अड़तालीस हजार छः सौ रूपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना एवं विभागाध्यक्ष, विकलांग भवन अस्पताल, कंकड़बाग, पटना को विपत्र कोड एन 2210011100001 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में संलग्न विवरणी के अनुसार निम्नांकित प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० **78,33,48,600/-** (अठहतर करोड़ तेतीस लाख अड़तालीस हजार छः सौ रूपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि०(2), दि०–17.04.98, 2880/ वि०(2), दि०–06.05.06, 96/वि०(2), दि०–09.01.08 सहपठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०–17.03.08, 2938/ वि०(2), दि०–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना एवं विभागाध्यक्ष, विकलांग भवन अस्पताल, कंकड़बाग, पटना होगें तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार, पटना होगें।

4. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

5. इस राशि के व्यय का वहन गैर योजना व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0001–पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, माँग संख्या 20, विपत्र कोड– N 2210011100001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजना आय व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थपित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

25/4/12

7. इस राशि से बकाये वेतन विपत्र की निकासी की जा सकेगी, बशर्ते कि अधीक्षक/विभागाध्यक्ष बकाये वेतन विपत्र की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये वेतन की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और उनका दावा नियमानुकूल है तथा नियमित वेतन विपत्र की निकासी में कोई कठिनाई न हो। इस राशि से कार्यालय व्यय, सामग्री पूर्तियाँ एवं वर्दी/ पोशाक मद में लंबित विपत्रों जिसकी निकासी वित्तीय वर्ष 2010–11 में कोषागार द्वारा नहीं की जा सकी, उसकी निकासी भी की जा सकती है, वशर्ते कि बकाये विपत्र की निकासी पूर्व में नहीं की गई हो और दावा वित्तीय नियमावली के अनुरूप हो।

8. इस आवंटनादेश में मशीन एवं उपकरण ईकाई में 33,00,000/– (तेतीस लाख) रूपए की राशि भी समाहित है जो लंबित विपत्रों के भुगतान, मशीनों के मरम्मति, रखरखाव एवं मशीनों को क्रियाशील बनाये रखने के लिए दिया जा रहा है।

9. इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।

11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

17/4/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

17/4/12

ज्ञापांक–1/पा०में०कॉ०अ०–07/2012–.....16.....(1)ब०/ पटना, दिनांक–25/04/ 2012

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिलाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/ बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, (आपूर्त्ति शखा) पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

17/4/12

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल विपत्र कोड एन 2210011100001 को वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	वर्त्तमान आवंटन				शेष राशि
		प०मे०कॉ०अ०	विकलांग भवन कंकड़बाग	कृत्रिम अवयव निर्माण केन्द्र	कुल योग	
01 01 वेतन	265008000	234357200	2800000	1350000	238507200	26500800
01 03 जीवन यापन भत्ता	163687000	144683300	1700000	935000	147318300	16368700
01 04 मकान किराया भत्ता	8549000	6944100	500000	250000	7694100	854900
01 05 परिवहन भत्ता	3993000	2940700	88000	565000	3593700	399300
01 06 चिकित्सा भत्ता	4847000	4311600	31500	19200	4362300	484700
01 07 अन्य भत्ता	38670000	34758000	41500	3500	34803000	3867000
योग– वेतन एवं भत्ते	**484754000**	**427994900**	**5161000**	3122700	**436278600**	**48475400**
06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2000000	1000000	0	0	1000000	1000000
11 01 यात्रा व्यय	450000	220000	0	5000	225000	225000
13 01 कार्यालय व्यय	15000000	6200000	1000000	300000	7500000	7500000
13 02 व० का ई० एवं रख रखाव	500000	240000	10000	0	250000	250000
13 03 दूरभाष	150000	50000	25000	0	75000	75000
13 04 विद्युत प्रभार	50000000	21500000	2000000	1500000	25000000	25000000
13 05 विधि प्रभार	100000	50000	0	0	50000	50000
13 06 वर्दी / पोशाक	2000000	970000	10000	20000	1000000	1000000
14 01 किराया महसूल एवं कर	4500000	2120000	130000	0	2250000	2250000
16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण	100000	50000	0	0	50000	50000
21 01 सामग्री एवं पूर्तियां	14000000	6000000	150000	150000	6300000	7700000
21 02 दवा भण्डार	250000000	125000000	400000	0	125400000	124600000
21 03 आहार / पथ्य	35000000	17500000	370000	0	17870000	17130000
27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	10000000	0	0	0	0	10000000
28 01 व्यावसायिक एवं वि० से०	160000000	150000000	800000	0	150800000	9200000
34 01 छात्रवृत्ति / वजीफा	12000000	6000000	0	0	6000000	6000000
52 01 मशीनें एवं उपस्कर	80000000	2000000	1100000	200000	3300000	76700000
कुल योग :–	**1120554000**	**766894900**	**11156000**	**5297700**	**783348600**	**337205400**

अठहतर करोड़ तेतीस लाख अड़तालीस हजार छः सौ रूपये मात्र

16(12)वि०
25-4-12

सरकार के संयुक्त सचिव।
17/4/12